

प्रेषक,

सुरज कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-उप सचिव,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के सहायक अनुदान गैर वेतन मद से बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये टर्म लोन के बकाये मूल राशि की एकमुश्त अदायगी हेतु कुल ₹२१,९५,००,०००/- (इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान-गैर वेतन हेतु कुल रु० ₹२१,९५,००,०००/- (इक्कीस करोड़ पंचानवे लाख रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-३जी/अजाविनि-५१-०२/२०२४- १२० दिनांक-१९.०८.२०२६ द्वारा दी गयी। तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत राशि बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को आवंटित की जाती है।

२- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित राशि मुख्य शीर्ष-२२२५, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़ों वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-०१ अनु० जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-१९० सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता, उप शीर्ष-०००१ बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना, विषय शीर्ष-०००१ ३१०६ सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड-४४-२२२५-०१-१९०-०००१ के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

उपरोक्त मद में वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान है।

३- उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना के पी० एल० खाता सं०-PTSPILA020 में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा अर्थात् राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली को एकमुश्त अदायगी की जायेगी।

४- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७.०४.१९९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

५- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ३१.०३.२०२७ तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

६- महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

७- १८ माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।

8- राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10- इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं०-3जी/अजाविनि-51-02/2024- के माध्यम से सहमति प्राप्त है।

11- इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

12- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुरज कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- 19/08/2024

ज्ञापांक-3/जी अजाविनि-51-02/2024- 123

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव/सचिव/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

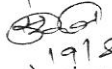
3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. सचिव/संयुक्त सचिव (अजाविनी)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग/ बजट शाखा/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

7. आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


19/8/2024
सरकार के संयुक्त सचिव।